

न्यायालय नजूल अधिकारी उमरिया जिला उमरिया (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक ०५/अ-20 (1)/2020-21/35


उमरिया दिनांक, ०८/०५/2021

सार्वजनिक उद्घोषणा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका प्रभा सिंह गहरवार पति गेंदन सिंह गहरवार निवासी इमामबाडा के पीछे कैम्प उमरिया जिला उमरिया द्वारा ग्राम छटनकैम्प तहसील बॉधवगढ जिला उमरिया की आ.ख.नं. 1467/1 रकवा 0.099 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में शासकीय दर्ज है, के अंश रकवा $21 \times 10 = 210$ वर्गफिट भूमि आवासीय /व्यवसायिक प्रयोजन हेतु नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार प्राप्त किये जाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अतः आम नागरिकों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिस किसी व्यक्ति को उक्त सम्बंध में आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर नजूल अधिकारी उमरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है । उक्त समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।


आज दिनांक ०८/०५/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा लगाकर जारी किया गया ।


नजूल अधिकारी
जिला उमरिया (म.प्र.) म0प्र0

प्रकरण क्रमांक ०५/अ-20 (1)/2020-21
प्रतिलिपि :-

उमरिया दिनांक, ०८/०५/2021

1. जिला सूचना एवं प्रसारण अधिकारी, जिला उमरिया की ओर राजस्व विभाग, एवं कार्यालय कलेक्टर जिला उमरिया की अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु ।
2. तहसीलदार, तहसील बॉधवगढ जिला उमरिया की ओर सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् उमरिया जिला उमरिया की ओर सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. नाजिर, कार्यालय आयुक्त महोदय, शहडोल सम्भाग शहडोल की ओर सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. जिला नाजिर, जिला कार्यालय उमरिया की ओर सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
6. सन्दर्भित भूमि पर या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर प्रकाशन हेतु ।
7. श्रीमती संध्या द्विवेदी पति भास्कर द्विवेदी निवासी वार्ड नं. 4 शिवाजी नगर फजिलगंज उमरिया की ओर स्थानीय व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।


नजूल अधिकारी
जिला उमरिया (म.प्र.) म0प्र0